

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 18/417

1. रामदयाल आत्मज स्व० धन्ना लाल जाति माली निवासी सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा ।
2. कंवर लाल आत्मज फूंदिया जी जाति माली निवासी सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा ।

—अपीलान्त

बनाम

1. जगन्नाथ आत्मज फून्दिया जी जाति माली निवासी सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा ।
2. मूर्ति बाई पुत्री शम्भू दयाल जी पत्नी महावीर निवासी घघटाना तहसील लाडपुरा ।
3. रूकमणी बाई पुत्री शम्भूदयाल जी पत्नी पवन जी जाति माली निवासी हाल तालेडा जिला बून्दी ।
4. मंजू बाई पुत्री शम्भूदयाल जी पत्नी पवन जी जाति माली निवासी हाल तालेडा जिला बून्दी ।
5. महावीर दत्तक पुत्र स्व० शम्भूदयाल जाति माली निवासी सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा ।
6. नन्दू बाई पत्नी स्व० शम्भू दयाल जाति माली निवासी सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा ।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा ।

—रेस्पोडन्ट

अपील संख्या : 18/441

1. रामदयाल आत्मज स्व० धन्ना लाल जाति माली निवासी सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा ।
2. कंवर लाल आत्मज फूंदिया जी जाति माली निवासी सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा ।

—अपीलान्त

बनाम

1. जगन्नाथ आत्मज फून्दिया जी जाति माली निवासी सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा ।
2. मूर्ति बाई पुत्री शम्भू दयाल जी पत्नी महावीर निवासी घघटाना तहसील लाडपुरा ।
3. रूकमणी बाई पुत्री शम्भूदयाल जी पत्नी पवन जी जाति माली निवासी हाल तालेडा जिला बून्दी ।



4. मंजू बाई पुत्री शम्भूदयाल जी पत्नी पवन जी जाति माली निवासी हाल तालेडा जिला बून्दी ।
5. महावीर दत्तक पुत्र स्व० शम्भूदयाल जाति माली निवासी सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा ।
6. नन्दू बाई पत्नी स्व० शम्भू दयाल जाति माली निवासी सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा ।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा ।

—रेस्पोजन्ट

उपस्थित :- 1. श्री केसरी लाल बैरवा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से दोनों अपीलों में।
 2. श्री ओमप्रकाश प्रजापति, अभिभाषक, रेस्पोजन्ट क्रम 1 से 5 की ओर से ।
 3. श्री लोकेश कुमार सैनी, अभिभाषक, रेस्पोजन्ट क्रम 3 की ओर से ।
 4. श्री चतुर्भुज महावर, अभिभाषक, रेस्पोजन्ट क्रम 2 से 4 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक: 05.07.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त दोनों अपीलें अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 09.07.2015 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 02.06.2017 के विरुद्ध पेश की गई हैं ।
2. उक्त दोनों अपीलें समान प्रकृति की होने से तथा समान पक्षकार होने तथा एक ही वादग्रस्त आराजी से सम्बन्धित होने तथा एक अपील प्राथमिक डिक्री की होने तथा दूसरी अपील अंतिम डिक्री की होने से उक्त दोनों अपीलों का निर्णय इस एकल निर्णय से किया जा रहा है । निर्णय दोनों पत्रावलियों में अलग-अलग संलग्न किया जावे ।
3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोजन्ट क्रम 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा में कुल 23 किता की 3.72 हैक्टर स्थित है । उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में वादी तथा प्रतिवादी क्रम 1 से 6 के नाम एवं मूली बाई पुत्री फून्दिया के नाम दर्ज है जिसमें प्रतिवादीगण क्रम 1, 2 व 6 व वादी का 1/6-1/6 हिस्सा व मूली बाई का 1/6 हिस्सा एवं प्रतिवादी क्रम 3, 4 व 5 का 1/6 हिस्सा है । मूली बाई ने अपने 1/6 हिस्से की भूमि वादी के हक में हक त्याग कर रिलीज कर दी जिसका इंतकाल वादी के पक्ष में खुल चुका है । इस प्रकार वादी का उक्त भूमि में 2/6 हिस्सा है । प्रतिवादी क्रम 2 शम्भूदयाल का दत्तक पुत्र है तथा प्रतिवादी क्रम 8 शम्भूदयाल की बेवा है । उक्त भूमि शामलाती की खाते में दर्ज होने के कारण व संयुक्त रूप से कब्जा काश्त होने से कडता लगान आदि जमा करने में व काश्त करने में व्यवधान होने लग गया है ।

4. अतः वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरुद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी का वादी तथा प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन किया जाकर वादी के 2/6 हिस्से की आराजी को वादी के अलग खाते में दर्ज किया जावे एवं लगान अलग से कायम किया जावे ।
5. प्रतिवादी क्रम 1 से 6 ने जवाबदावा पेश कर वादी के वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वादी का वाद खारिज करने का निवेदन किया ।
6. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 09.07.2015 के द्वारा वाद का वाद स्वीकार करते हुए विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित की तथा अपीलान्तीन निर्णय दिनांक 02.06.2017 के द्वारा विभाजन की अंतिम डिक्री जारी की ।
7. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 09.07.2015 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 02.06.2017 से व्यथित होकर प्रतिवादी क्रम 1 व 2 अपीलान्तीन न्यायालय हाजा में अलग-अलग अपील पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत राजीनामा पर सभी पक्षकारान के हस्ताक्षर नहीं हैं । राजीनामा में यह तय हुआ कि जो व्यक्ति जिस जगह काबिज है वही भूमि विभाजन में प्राप्त करेगा किन्तु इसके उपरान्त भी कब्जे के अनुसार निर्णय व डिक्री पारित न कर बंटवारा रिपोर्ट मंगवाने का आदेश पारित करने में विभाजन प्रस्ताव में प्रत्येक भूमि में से हिस्सा नहीं कर रेस्पोंडेन्ट क्रम 1 को एक ही खसरा नम्बर में भूमि दे दी गई । वादग्रस्त आराजी में भूली बाई ने अपने हिस्से की रिलीज डीड के खिलाफ दावा सिविल न्यायालय में पेश किया हुआ है जिसमें वादग्रस्त आराजी की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किया हुआ है । जिस भूमि पर अपीलान्तीन काबिज काशत है वह भूमि अपीलान्तीन को नहीं दी गई । अपीलान्तीन जिस भूमि पर काबिज है वही भूमि विभाजन में प्राप्त करने का अधिकारी है । रेस्पोंडेन्ट क्रम 1 चालाक व्यक्ति है जिसने पूर्व में भी फर्जी गोदनामा तैयार कर भूमि हडप करने की कोशिश की गई थी जिसके विरुद्ध मुकदमा एफआईआर दर्ज करवायी गई थी । अधीनस्थ न्यायालय ने अंतिम डिक्री जारी करते समय राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की है । अतः दोनों अपील अपीलान्तीन स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 09.07.2015 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 02.06.2017 निरस्त फरमाये जावें ।
8. अपीलान्तीन ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी का पेश कर कथन किया कि अपीलान्तीन क्रम 1 प्रतिवादी क्रम 1 धन्नालाल का वारिस है और उसको उक्त प्रकरण की कोई जानकारी नहीं थी । उक्त निर्णय की जानकारी रेस्पोंडेन्ट द्वारा वादग्रस्त आराजी के बेदखल करने की धमकी देने पर जानकारी हुई । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 09.07.2015 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 02.06.2017 से अपीलान्तीन के हित प्रभावित हुए हैं वह व्यथित पक्षकार है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी अपीलान्तीन को न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करने का आदेश पारित किया जावे ।
9. हमने उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्तीन ने स्वयं को मृतक धन्ना लाल का वारिस होना बताया है और वादग्रस्त आराजी में उसका हित-निहित होने का कथन किया । अतः न्यायहित

में प्रार्थी अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

10. अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री एवं अंतिम डिक्री की जानकारी नहीं थी । उक्त निर्णय एवं डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 29 व 30.06.2018 को हुई जिस पर उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री एवं अंतिम डिक्री की नकल प्राप्त कर ये दोनों अपीलें पेश की गई हैं । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।
11. दोनों अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।
12. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादीगण एवं अन्य के खिलाफ एक दावा अधीनस्थ न्यायालय में ग्राम सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा की आराजी कुल 23 किता की 3.72 हैक्टर भूमि के सम्बन्ध में पेश कर कथन किया कि उक्त भूमि वादी व प्रतिवादीगण के शामलाती खाते में दर्ज चली आ रही है । वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादी क्रम 1, 2 व 6 प्रत्येक का 1/6-1/6 हिस्सा प्रतिवादी क्रम 3, 4 व 5 का 1/6 हिस्सा, भूली बाई का 1/6 हिस्सा दर्ज है । भूली बाई ने वादी के हक में अपना हिस्सा रिलीज कर दिया । इस प्रकार वादी का 2/6 हिस्सा है । पक्षकारान आपसी सहमति से मौके पर हिस्से अनुसार काबिज काश्त चले आ रहे हैं और उसी अनुसार विभाजन करने की प्रार्थना की । वादी ने एक अन्य वाद जगन्नाथ बनाम धन्ना लाल के उनवान से 16 प्रतिवादी पक्षकार बनाकर वाद पेश किया जिसका वाद संख्या 574/2009 दर्ज किया जाकर उक्त वाद को वाद संख्या 28/09 के साथ समेकित किया गया । अधीनस्थ न्यायालय ने बिना तनकीयात कायम किये वादी की साक्ष्य लेखबद्ध करने के उपरान्त प्रकरण को लोक अदालत में रखा जिसमें राजीनामा के आधार पर दावा को दिनांक 09.07.2015 को डिक्री कर प्रारम्भिक डिक्री जारी कर दी । राजीनामे पर सभी पक्षकारान के हस्ताक्षर नहीं हैं । राजीनामे में कब्जे के आधार पर विभाजन के लिए सहमति हुई थी परन्तु विभाजन रिपोर्ट बनाते समय कब्जे का ध्यान नहीं रखा गया है । भूली बाई ने अपने हिस्से की रिलीज डीड के खिलाफ सिविल न्यायालय में दावा पेश किया था जिसमें यथास्थिति का आदेश पारित किया गया है । इन तथ्यों को वादी ने छुपाया है । रेस्पोजेन्ट क्रम 1 ने फर्जी गोदनामा तैयार कर भूमि हडपने की कोशिश की थी जिसके विरुद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज करवाई गई । विभाजन रिपोर्ट सरसरी तौर पर तैयार की गई है । पटवारी हल्का ही मौके पर गये हैं तहसीलदार स्वयं मौके पर नहीं गये हैं । धन्नालाल की मृत्यु हो चुकी है । धन्ना लाल के वारिसान को रिकॉर्ड पर नहीं लिया गया है । अपीलान्ट क्रम 1 को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है । विभाजन एवं अंतिम डिक्री में कब्जे का ध्यान नहीं रखा गया है । दिनांक 24.03.2014 को अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी क्रम 6 का नाम डिलीट करने का प्रार्थना पत्र पेश किया था जिसका निस्तारण नहीं किया गया है । दिनांक 15.04.2015 को पत्रावली लोक अदालत में रखे जाने का आदेश पारित किया है सिर्फ 03 व्यक्तियों ने राजीनामा पेश किया है जो अस्पष्ट है । समस्त पक्षकारों के हस्ताक्षर नहीं हैं । अतः दोनों अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित

निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 09.07.2015 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 02.06.2017 निरस्त फरमाई जावें ।

13. रेस्पोजेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकारों के मध्य राजीनामा हुआ था और राजीनामा के आधार पर प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई थी । विधि सम्मत रूप से बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त किये गये हैं । अपीलान्ट ने बंटवारा प्रस्ताव पर कोई आपत्ति पेश नहीं की । उन्हें बंटवारा प्रस्ताव पर समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से प्रारम्भिक डिक्री एवं अंतिम डिक्री जारी की है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की है । अतः दोनों अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 09.07.2015 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 02.06.2017 बहाल रखे जावें ।
14. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताए हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।
15. अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा वादी जगन्नाथ के द्वारा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया था जिसमें कुल 23 किता की 3.72 हैक्टर आराजी के विभाजन की प्रार्थना की गई थी । इस दावे का जवाबदावा प्रतिवादी क्रम 1 से 6 ने पेश किया था जो शामिल मिसल है ।
16. पत्रावली के साथ एक अन्य दावे की पत्रावली संलग्न है जो वादी जगन्नाथ के द्वारा पेश किया गया है । यह पत्रावली वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 2074 रकबा 0.53 हैक्टर एवं 23 किता की 3.72 हैक्टर दोनों के बाबत है और यह दावा स्थायी निषेधाज्ञा के बाबत पेश किया गया है ।
17. अधीनस्थ न्यायालय में जो राजीनामा दिनांक 09.07.2015 को पेश किया है जिसमें सिर्फ 03 पक्षकार जगन्नाथ, धन्नलाल और कंवर लाल के हस्ताक्षर हैं । अन्य पक्षकारों के हस्ताक्षर नहीं हैं और इसमें खसरा नम्बर 2074 रकबा 0.53 हैक्टर का हवाला नहीं है । इस राजीनामे में मूली के द्वारा जगन्नाथ के पक्ष में, पुष्पा के द्वारा अपना हिस्सा कंवर लाल के पक्ष में तथा शम्भूदयाल के वारिसान द्वारा अपना हिस्सा कंवर लाल के पक्ष में हक त्याग किया जाना अंकित है ।
18. पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात का भी अवलोकन किया । वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात में नकल जमाबन्दी संवत् 2055-58 प्रदर्श- पी-1 है जिसके अनुसार कुल 23 किता की कुल


रकबा 3.72 हैक्टर आराजी धन्नालाल, जगन्नाथ, कंवर लाल, शम्भूदयाल पिसरान फून्दिया, पुष्पाबाई, मूली बाई, पुत्रियों फन्दिया कौम माली के नाम खातेदारी में दर्ज है और शम्भूदयाल की मृत्यु हो जाने पर उनके वारिसान के नाम नामान्तरकरण संख्या 44 दिनांक 04.08.1998 खोला गया है उक्त जमाबन्दी में नामान्तरकरण संख्या 718 दिनांक 05.06.2004 का हवाला है जिसमें मूली बाई के हिस्से की आराजी 1/6 रिलीज डीड द्वारा उनके भाई जगन्नाथ के नाम से दर्ज होने का हवाला है ।

19. पत्रावली पर पुष्पाबाई द्वारा असल हक त्याग पत्र, मूर्ति बाई, रूकमणी बाई पुत्रियों शम्भूदयाल का असल हक त्याग पत्र संलग्न है । इसके अलावा एक अन्य हक त्याग शंकर लाल, जगदीश एवं ग्यारसी बाई पुत्री पन्ना जी का भी संलग्न है जो खसरा नम्बर 2074 रकबा 0.53 हैक्टर आराजी के बाबत है । यह हक त्याग कंवर लाल के पक्ष में निष्पादित किया गया है । पत्रावली पर जो राजीनामा संलग्न किया गया है उसमें आराजी खसरा नम्बर 2074 का हवाला नहीं दिया गया है और न ही खसरा नम्बर 2074 के अन्य सहखातेदारान नन्दा पुत्र कजोड, शंकर लाल, रामस्वरूप, जगदीश पिसरान पन्ना ग्यारसी बाई, जगन्नाथ पुत्री पन्ना के हस्ताक्षर हैं । इस प्रकार पत्रावली पर जो राजीनामा संलग्न है वो समस्त पक्षकारों के द्वारा निष्पादित नहीं है और इस राजीनामे में आराजी खसरा नम्बर 2074 रकबा 0.53 हैक्टर आराजी का हवाला भी नहीं दिया गया है जबकि डिक्री खसरा नम्बर 2074 रकबा 0.53 हैक्टर के लिए भी पारित की गई है । राजीनामे में सिर्फ 03 पक्षकारों के हस्ताक्षर हैं ।

20. दौराने बहस विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने प्रारम्भिक डिक्री पर अनापत्ति होना व्यक्त किया है परन्तु राजीनामा विधि सम्मत नहीं है । इस कारण राजीनामे के आधार पर दावा डिक्री नहीं किया जा सकता । यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि राजीनामे को पीठासीन अधिकारी के द्वारा तस्दीक भी नहीं किया गया है । इन समस्त तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई है वह विधि -विरुद्ध है और उसके आधार पर जारी की गई अंतिम डिक्री भी विधि सम्मत नहीं कही जा सकती ।

21. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 09.07.2015 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 02.06.2017 निरस्त किये जाते हैं । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि दोनों दावों को समेकित करने के उपरान्त नये सिरे से विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । यदि पक्षकारान इस प्रकारण को राजीनामे के आधार पर निस्तारण करना चाहते हैं तो विधिक राजीनामा समस्त पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित अधीनस्थ न्यायालय में पेश करने के लिए स्वतंत्र हैं । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 20.08.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

22. निर्णय आज दिनांक 05.07.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।


(भागवती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा